



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
नैक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

कादर नवाज़ ख़ान
कुलसचिव (कार्यवाहक)
Kadar Nawaz Khan
Registrar (Acting)

दूरभाष/Phone : +91-7152-230902

क्रमांक : 003/वि.प.ग./326/2025/22

दिनांक : 14.01.2026

अधिसूचना

विद्या-परिषद् की दिनांक 05.01.2026 को सम्पन्न 47वीं बैठक की मद संख्या 03 के अंतर्गत लिये गये निर्णय के अनुसरण में विश्वविद्यालय के परिनियम 14 (1) (j) के प्रावधान के अंतर्गत प्रो. रणजित बेहेरा, संस्कृत विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली को दो वर्ष की अवधि के लिए विद्या-परिषद् का सदस्य सहयोजित किया जाता है।

यह अधिसूचना सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से निर्गत की जाती है।

कादर नवाज़
(कादर नवाज़ ख़ान)
14/01/26

प्रति (ई-मेल द्वारा) :

प्रो. रणजित बेहेरा
संस्कृत विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय,
दिल्ली

प्रतिलिपि (ई-मेल द्वारा) :

1. कुलपति सचिवालय
2. विद्या-परिषद् के सभी माननीय सदस्य
3. कार्य-परिषद् के सभी माननीय सदस्य
4. सचिव, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, उच्चतर शिक्षा विभाग, नयी दिल्ली
5. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह ज़फर, मार्ग, नयी दिल्ली
6. विश्वविद्यालय के सभी विद्यापीठ/विभाग/केंद्र/अनुभाग
7. अकादमिक विभाग
8. प्रभारी, लीला को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
9. संबंधित पत्रावली